न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी—श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 21/18

श्री मिठुसिंह s/o मानसिंह गुवाब्ना कल्याणसिंह राजपूत निवासी- बांकली तहसील माण्डल
—प्रार्थी

बनाम

श्री गोकलसिंह s/o मौता सिंह राजपूत निवासी- बांकली, तहसील- माण्डल [वगैरा]
—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आ दे श :: दिनांक:— 23.2.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा0भू0राज0अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बाँकली .... पटवार हल्का चांरेड तहसील मांडल / करेडा में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं 1155/1 में 08 बिस्वा कुल किता 01 रकबा — बीघा 08 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिता के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करवाये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.1.18 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवदेन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त पटवार हल्का उक्त तहसील मांडल / करेडा में स्थित आराजी नम्बर उक्त कुल किता उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक चांदरास को 300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार मांडल / करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा